IndiaCode

नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 17)

[26 जुलाई, 2019]

सांस्थानिक माध्यस्थम् के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था का सृजन करने के लिए नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की स्थापना तथा उसका निगमन करने और अन्तरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण के लिए तथा माध्यस्थम् के बेहतर प्रबंधन के लिए उपक्रमों को नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र में निहित करने के प्रयोजनों के लिए जिससे नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र को संस्थागत माध्यस्थम् का केंद्र बनाया जा सके और उसे एक राष्ट्रीय महत्ता की संस्था घोषित करने के लिए तथा उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

विवाद समाधान प्रक्रिया का भारतीय अर्थव्यवस्था पर और हमारे देश में कारबार करने संबंधी वैश्विक बोध पर एक व्यापक प्रभाव है तथा वाणिज्यिक विवादों के मुदकमेबाजों के बीच विश्वास और साख प्रेरित करना आवश्यक हो गया है;

और अति परिवर्तनशील आर्थिक गतिविधियां विवादों के शीघ्र परिनिर्धारण तथा सांस्थानिक माध्यस्थम् के सृजन और स्थापना की मांग करती है;

और अन्तरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र की स्थापना केंद्रीय सरकार के तत्वावधान में वर्ष 1995 में की गई थी और इसे विकल्पी विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन करने के उद्देश्य से और उसके लिए सुविधाओं का उपबंध करने के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया था;

1860 का 21

और अन्तरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र को अवसंरचना का सन्निर्माण करने और अन्य सुविधाओं को बनाने के लिए अनुदानों और अन्य फायदों के माध्यम से केंद्रीय सरकार से भूमि और सारवान् वित्तपोषण प्राप्त हुआ है;

और दो दशकों से अधिक समय से अन्तरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधन केंद्र सक्रिय रूप से माध्यस्थम् पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित होने और उसमें हुए विकास को आत्मसात करने तथा माध्यस्थम् की परिवर्तनशील प्रकृति के साथ गति बनाए रखते हुए उत्कृष्टता की प्रतिष्ठा बनाने में समर्थ नहीं हो सका है;

और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति द्वारा किए गए अध्ययन यह उपदर्शित करते हैं कि अन्तरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र सांस्थानिक माध्यस्थम् की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने और अनुकूलतम रूप से मुकदमों को संभालने तथा माध्यस्थम् के पक्षकारों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने में असफल रहा है;

और अन्तरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र के उपक्रमों के, जिनके अंतर्गत उसके प्रादेशिक कार्यालय भी हैं, उसके कार्यकलापों में कोई हस्तक्षेप किए बिना और एक सोसाइटी के रूप में उसके चरित्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना कार्यभार को संभालना, किंतु उसकी विद्यमान अवसंरचना और अन्य सुविधाओं का उपयोग करना, जिनकी स्थापना सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई लोक निधियों का उपयोग करते हुए की गई है, और नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के नाम से ज्ञात एक सुदृढ़ संस्था का घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् के लिए निगमन करना समीचीन हो गया है;

और त्वरित तथा दक्ष विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन करके नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र को, उसके एक प्रमुख माध्यस्थम् हब के रूप में समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय महत्ता की एक संस्था के रूप में घोषित करना आवश्यक समझा गया है;

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 है।

(2) यह 2 मार्च, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''केंद्र'' से धारा 3 के अधीन स्थापित और निगमित नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अभिप्रेत है;

(ख) ''अध्यक्ष'' से धारा 5 के खंड (क) में निर्दिष्ट केंद्र का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी'' से धारा 21 के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) ''समिति'' से धारा 19 में निर्दिष्ट केंद्र की सुसंगत समिति अभिप्रेत है;

(ङ) ''अभिरक्षक'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन उपक्रमों के संबंध में अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है;

(च) ''निधि'' से धारा 25 के अधीन बनाए रखे जाने वाली केंद्र की निधि अभिप्रेत है;

(छ) ''सदस्य'' से केंद्र का पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है;

(ज) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(झ) ''विहित'' से केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ञ) ''विनियम'' से केंद्र द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;

1860 का 21

(ट) ''सोसाइटी'' से, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत अन्तरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र अभिप्रेत है जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है;

(ठ) ''विनिर्दिष्ट तारीख'' से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख अभिप्रेत है;

(ड) ''उपक्रमों'' से सोसाइटी के उपक्रम अभिप्रेत है, जो धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हैं।

(2) सभी अन्य शब्दों और पदों, जिनका इसमें प्रयोग किया गया है, किंतु परिभाषित नहीं किया

1996 का 26

गया है और जो माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में परिभाषित है, का वही अर्थ होगा, जो उनका उस अधिनियम में है।

अध्याय 2

नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की स्थापना और निगमन

नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की स्थापना और निगमन।

3. (1) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के नाम से ज्ञात एक निकाय की स्थापना करेगी।

(2) केंद्र पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और समाान्य मुद्रा होगी, जिसे इस विधेयक के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा तथा उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा।

नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की राष्ट्रीय महत्ता की संस्था के रूप में घोषणा।

4 (1) नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के उद्देश्य ऐसे हैं, जो उसे राष्ट्रीय महत्ता की संस्था बनाते हैं, अत: यह घोषित किया जाता है कि नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र एक राष्ट्रीय महत्ता की संस्था है।

(2) केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली होगा और यह केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भारत और विदेशों में अन्य स्थानों पर शाखाएं स्थापित कर सकेगा।

केंद्र की संरचना।

5. केंद्र निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नियुक्त कोई व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या माध्यस्थम् के संचालन या प्रशासन, विधि या प्रबंध में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाला कोई विख्यात व्यक्ति—अध्यक्ष;

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दो विख्यात व्यक्ति जिनके पास घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय, दोनों प्रकार के सांस्थानिक माध्यस्थम् में सारवान् ज्ञान और अनुभव हो—पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य;

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा चक्रानुक्रम के अधार पर चयनित वाणिज्य और उद्योग के किसी मान्यताप्राप्त निकाय का एक प्रतिनिधि—अंशकालिक सदस्य;

(घ) सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय या संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का उसका प्रतिनिधि—सदस्य, पदेन;

(ङ) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट एक वित्तीय सलाहकार—सदस्य, पदेन; और

(च) मुख्य कार्यपालक अधिकारी—सदस्य, पदेन।

अध्यक्ष और सदस्यों, आदि की सेवा के निबंधन और शर्तें।

6. (1) अध्यक्ष और सदस्य, उनके द्वारा अपना पद धारण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे:

परंतु कोई अध्यक्ष या सदस्य उस रूप में, अध्यक्ष की दशा में सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् और सदस्य की दशा में सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा संदेय वेतन और भत्ते वे होंगे, जो विहित किए जाएं।

(3) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त सदस्य की पदावधि उस सदस्य की शेष पदावधि होगी, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है।

(4) अंशकालिक सदस्य ऐसे यात्रा और अन्य भत्तों के हकदार होंगे, जो विहित किए जाएं।

अध्याय 3

सोसाइटी के उपक्रमों का अर्जन और अंतरण

अंतरण और निहित होना।

7. विनिर्दिष्ट तारीख से ही, सोसाइटी के उतने उपक्रम, जो सोसाइटी का भाग हैं या उससे संबंधित हैं और ऐसे उपक्रमों के संबंध में सोसाइटी का अधिकार, हक और हित इस अधिनियम के कारण केंद्रीय सरकार को अंतरित हो जाएंगे तथा उसमें निहित होंगे।

निहित होने का साधारण प्रभाव।

8. (1) धारा 7 के अधीन निहित उपक्रमों में सोसाइटी की ऐसी सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा सभी संपत्ति (जंगम और स्थावर), जिसके अंतर्गत भूमि, भवन, संकर्म, परियोजनाएं, लिखतें, आटोमोबाइल और अन्य यान, नकद अतिशेष, निधियां जिनके अंतर्गत आरक्षित निधियां, विनिधान और लेखा बही ऋण भी है, जो सोसाइटी के भाग हैं या उससे संबंधित हैं और ऐसी संपत्तियों से उद्भूत अन्य अधिकार और हित, जो नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अध्यादेश, 2019 के प्रारंभ की तारीख से ठीक पूर्व सोसाइटी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थे तथा सभी लेखा बहियां, रजिस्टर तथा उनसे संबंधित किसी भी प्रकृति के अन्य सभी दस्तावेज सोसाइटी में निहित हो जाएंगे। 2019 का अध्यादेश सं॰ 10

(2) यथा पूर्वोक्त सभी संपत्तियां और आस्तियां, जो धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हैं, ऐसे निहित होने के कारण किसी न्यास, बाध्यता, आडमान, प्रभार, धारणाधिकार और सभी अन्य विल्लंगमों, जो उन्हें प्रभावित करते हैं से मुक्त और उन्मोचित होंगी या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी कुर्की, व्यादेश, डिक्री या ऐसी परिसंपत्तियों या आस्तियों के किसी रीति में उपयोग को निर्बंधित करने के आदेश या ऐसी संपूर्ण परिसंपत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग के संबंध में किसी प्रापक की नियुक्ति को प्रतिसंहृत किया गया समझा जाएगा।

(3) सोसाइटी को किसी उपक्रम के संबंध में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व किसी समय अनुदत्त और विनिर्दिष्ट तारीख से तुरन्त पूर्व प्रवृत्त कोई अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत, जो धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हैं, ऐसी तारीख को और उसके पश्चात् अपनी कार्यावधि के लिए तथा ऐसे उपक्रम के संबंध में और उसके प्रयोजन के लिए जारी रहेंगे या जहां उपक्रमों को धारा 10 के अधीन केंद्र में निहित किए जाने का निदेश किया गया है, केंद्र को ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत में इस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, मानों ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत को केंद्र को अनुदत्त किया गया है और केंद्र उस शेष अवधि के लिए उन्हें धारित करेगा, जिसके लिए सोसाइटी उनको उनके निबंधनों के अधीन धारित करती।

(4) यदि विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसी परिसंपत्ति या आस्ति, जो धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित है, के संबंध में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, चाहे किसी भी प्रकृति की हो, सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या आरंभ की जाती है, लंबित है, तो उसका उपशमन नहीं किया जाएगा, उसे बंद नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार से सोसाइटी में उपक्रमों के अर्जन के कारण इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगी, किंतु केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या जहां सोसाइटी के उपक्रमों को धारा 10 के अधीन केंद्र में निहित होने का निदेश दिया गया है, वहां केन्द्र द्वारा या उसके विरुद्ध वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को जारी रखा जा सकेगा, अभियोजित किया जा सकेगा या उसे प्रवर्तन में लाया जा सकेगा।

विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व दायित्व।

9. विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व किसी अवधि की बाबत किसी उपक्रम के संबंध में प्रत्येक दायित्व सोसाइटी के विरुद्ध और न कि केंद्रीय सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा।

केंद्रीय सरकार की उपक्रम को केंद्र में निहित करने का निदेश देने की शक्ति।

10. (1) केंद्रीय सरकार, धारा 7 और धारा 8 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि ऐसे उपक्रम और ऐसे उपक्रमों की बाबत सोसाइटी के अधिकार, हक और हित, जो धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित किए गए थे, या तो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या ऐसी पूर्वतर या पश्चात्वर्ती तारीख को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, केंद्र में निहित हो जाएंगे।

(2) जहां सोसाइटी के किन्हीं उपक्रमों की बाबत उपधारा (1) के अधीन अधिकार, हक और हित केंद्र में निहित हैं, केंद्र ऐसे निहित होने की तारीख से ही ऐसे उपक्रमों की बाबत स्वामी समझा जाएगा और ऐसे उपक्रमों की बाबत केंद्रीय सरकार के हित और उत्तरदायित्व ऐसे निहित होने की तारीख से ही क्रमशः केंद्र के अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे।

उपक्रमों का प्रबंध, आदि।

11. (1) ऐसे उपक्रमों, जिनके संबंध में अधिकार, हित, धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हैं, का साधारण अधीक्षण, निदेश, नियंत्रण और प्रबंध,—

(क) जहां धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा कोई निदेश दिया गया है, केंद्र में निहित होगा; या

(ख) जहां केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया है, उपधारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अभिरक्षक में निहित होगा, और तदुपरांत, यथास्थिति, केंद्र या इस प्रकार नियुक्त अभिरक्षक ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कृत्यों का निर्वहन करने का हकदार होगा, जैसे सोसाइटी अपने उपक्रमों की बाबत प्रयोग या निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत है।

(2) केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को ऐसे उपक्रमों की बाबत, जिनके संबंध में धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश नहीं दिया गया है, अभिरक्षक नियुक्त कर सकेगी।

(3) इस प्रकार नियुक्त अभिरक्षक ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, जो केंद्रीय सरकार नियत करे और केंद्रीय सरकार के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।

उपक्रमों के प्रबंध के भारसाधक व्यक्तियों का सभी आस्तियां परिदत्त करने का कर्तव्य।

12. (1) केंद्र में उपक्रमों के प्रबंध को निहित करने या धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन किसी अभिरक्षक की नियुक्ति पर, ऐसे निहित करने या नियुक्ति से तुरंत पूर्व उपक्रमों के प्रबंध के भारसाधक सभी व्यक्ति, यथास्थिति, केंद्र या अभिरक्षक को अपनी अभिरक्षा में के उपक्रमों से संबंधित सभी आस्तियों, लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त करने के लिए आबद्ध होंगे।

(2) केंद्रीय सरकार अभिरक्षक को, अभिरक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों के संबंध में ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह मामले की परिस्थितियों में वांछनीय समझे और अभिरक्षक भी यदि ऐसा करना आवश्यक समझता है तो किसी भी समय केंद्रीय सरकार को उस रीति, जिसमें उपक्रमों के प्रबंध का संचालन किया जाना है, के संबंध में या ऐसे प्रबंध के अनुक्रम में उद्भूत किसी अन्य विषय के संबंध में अनुदेशों हेतु आवेदन कर सकेगा।

(3) कोई व्यक्ति, जिसके पास या जिसके नियंत्रणाधीन विनिर्दिष्ट तारीख को उपक्रमों के संबंध में कोई बहियां, दस्तावेज या अन्य कागजपत्र हैं, ऐसी बहियों, दस्तावेजों या अन्य कागजपत्रों के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या अभिरक्षक को हिसाब देने के लिए दायी होगा और उन्हें केंद्रीय सरकार या अभिरक्षक या केंद्र या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को परिदत्त करेगा, जैसा इस निमित्त केंद्रीय सरकार या केंद्र विनिर्दिष्ट करे।

(4) केंद्रीय सरकार या केंद्र ऐसे सभी उपक्रमों, जिनको इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार या केंद्र में निहित किया गया है, को कब्जे में लेने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा या उठवाएगा।

(5) सोसाइटी ऐसी कालावधि के भीतर, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार अनुज्ञात करे, उस सरकार को नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अध्यादेश, 2019 के प्रारंभ होने की तारीख को उपक्रमों के संबंध में उसकी सभी परिसंपत्तियों और आस्तियों की एक पूर्ण माल सूची प्रस्तुत करेगी और इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या अभिरक्षक या केंद्र, सोसाइटी या निकाय को सभी युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करेगा।

2019 का अध्यादेश सं॰ 10

IndiaCode

केंद्रीय सरकार या केंद्र की कतिपय शक्तियां।

13. केंद्रीय सरकार या अभिरक्षक या केंद्र, विनिर्दिष्ट तारीख तक सभी अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए किसी धन, जो सोसाइटी के ऐसे उपक्रमों की बाबत सोसाइटी को शोध्य हैं, जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या अभिरक्षक या केंद्र में निहित हैं और जिनकी नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अध्यादेश, 2019 के प्रारंभ के पश्चात् वसूली की गई है, इस बात के होते हुए भी कि वसूली नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अध्यादेश, 2019 के प्रारंभ होने से पूर्व किसी कालावधि के लिए है, को प्राप्त करने का हकदार होगा। 2019 का अध्यादेश सं॰ 10

केंद्र के उद्देश्य।

14. केंद्र के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे,—

(क) अन्तरराष्ट्रीय और घरेलू माध्यस्थम् संचालित करने के लिए एक अग्रणी संस्था के रूप में स्वयं का विकास करने के लिए लक्ष्यित सुधार करना;

(ख) माध्यस्थम, सुलह, मध्यकता और अन्य विकल्पी विवाद समाधान विषयों में अनुसंधान और अध्ययन का संवर्धन करना, शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करना तथा सम्मेलन और संगोष्ठियां आयोजित करना;

(ग) सुलह, मध्यकता और माध्यस्थम् कार्यवाहियों के लिए सुविधाएं और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करना;

(घ) प्रत्याशित मध्यस्थों, सुलहकर्ताओं और मध्यकर्तों का राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर या विशेषज्ञों, जैसे कि सर्वेक्षकों और अन्वेषकों का पैनल बनाए रखना;

(ङ) केंद्र की माध्यस्थम् और सुलह में एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में साख को सुनिश्चित करने के लिए अन्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों के साथ सहयोग करना;

(च) केंद्र के कार्यकलापों का संवर्धन करने के लिए भारत और विदेश में सुविधाएं स्थापित करना;

(छ) केंद्र द्वारा अंगीकृत किए जाने वाले विकल्पी विवाद समाधान तंत्रों के विभिन्न ढंगों के लिए पैरामीटर अधिकथित करना; और

(ज) ऐसे अन्य उद्देश्य, जिन्हें वह केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से उचित समझे।

केन्द्र के कृत्य।

15. धारा 14 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र निम्नलिखित के लिए प्रयास करेगा,—

(क) अत्यधिक वृत्तिक रीति में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू माध्यस्थमों और सुलह के संचालन को सुकर बनाने;

(ख) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माध्यस्थमों और सुलह के संचालन के लिए सस्ती और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने;

(ग) विकल्पी विवाद समाधान के क्षेत्र और अन्य संबद्ध विषयों में अध्ययनों का संवर्धन करने और विवाद समाधान की प्रणाली में सुधारों का संवर्धन करने;

(घ) विकल्पी विवाद समाधान के क्षेत्र और अन्य संबद्ध विषयों में अध्यापन प्रारंभ करने और विधि तथा प्रक्रियाओं के ज्ञान के प्रसार के लिए उपबंध करने और प्रमाणपत्रों तथा अन्य शैक्षणिक या वृत्तिक उपाधियों को प्रदान करने;

(ङ) विकल्पी विवाद समाधान के क्षेत्र और अन्य संबद्ध विषयों में ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने, जो माध्यस्थम्, सुलह और मध्यकता संबंधी कार्यवाही कर रहे हैं;

(च) विकल्पी विवाद समाधान का संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अन्य सोसाइटियों, संस्थाओं और संगठनों के साथ सहयोग करने; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करने, जो विकल्पी विवाद समाधान का संवर्धन करने के लिए केंन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं।

indiaCode

रिक्तियों, आदि का केन्द्र की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना।

16. केन्द्र की कोई कार्रवाई या कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) केन्द्र में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) केन्द्र के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) केन्द्र की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है।

सदस्यों का त्यागपत्र।

17. अध्यक्ष या पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक सदस्य, लिखित में केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपनी हस्ताक्षरयुक्त सूचना देकर, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा:

परंतु अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे उससे पूर्व उसका पद त्याग करने की अनुमति न दी जाए, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा उसका पदग्रहण करने तक या उसकी पदावधि के अवसान तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पदधारण करना जारी रखेगा।

सदस्यों का हटाया जाना।

18. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी, यदि,—

(क) वह कोई अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ख) वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय (अंशकालिक सदस्य के सिवाय) किसी संदाययुक्त नियोजन में नियोजित होता है; या

(ग) उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनके कारण सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बना रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया है; या

(च) वह सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सदस्य को उस उपधारा के खंड (घ) और खंड (ङ) मे विनिर्दिष्ट आधारों पर उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उच्चतम न्यायालय द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त उसे किए गए किसी प्रतिनिर्देश पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार उसके द्वारा की गई जांच पर यह रिपोर्ट न किया गया हो कि सदस्य को ऐसे आधार पर आधारों पर हटाया जाना आवश्यक है।

केन्द्र की समितियां।

19. (1) केन्द्र ऐसे समितियों का गठन कर सकेगा, जो उसके द्वारा उसके कृत्यों के विभिन्न पहलुओं के प्रशासन के लिए आवश्यक समझी जाएं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समितियों की संरचना और उनके कृत्य वे होंगे, जो विहित किए जाएं।

(3) समिति ऐसे समय पर और ऐसे स्थानों पर अपनी बैठक करेगी और वह अपनी बैठकों में कारगार के संव्यवहार के संबंध में ऐसे प्रक्रिया नियमों, जिनके अंतर्गत गणपूर्ति भी है, का पालन करेगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

केन्द्र की बैठकें।

20. (1) अध्यक्ष सामान्य रूप से केन्द्र की बैठकों की अध्यक्षता करेगा:

परंतु उसकी अनुपस्थिति में, अन्य सदस्यों द्वारा उनके बीच में से चुना गया सदस्य बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(2) अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि केन्द्र द्वारा किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन किया जाता है।

IndiaCode

(3) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित किए जाएं।

(4) केन्द्र एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठकें करेगा और अपनी बैठकों में ऐसी प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है, का ऐसी रीति में अनुपालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(5) ऐसे सभी प्रश्नों, जो किसी बैठक के दौरान केन्द्र के समक्ष आते हैं—

(क) का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की समानता की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास निर्णायक मत होगा;

(ख) के संबंध में यथासंभव शीघ्र कार्यवाही की जाएगी और केन्द्र उनका निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर करेगा:

परंतु जहां ऐसे किसी आवेदन का निपटारा साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर नहीं किया जा सका था, वहां केन्द्र उक्त आवेदन का उस अवधि के भीतर निपटारा न करने के लिए कारणों को लिखित में लेखबद्ध करेगा।

(6) अध्यक्ष केन्द्र की बैठकों में भाग लेने के लिए किसी विशेषज्ञ को, जो सदस्य नहीं है, आमंत्रित कर सकेगा किन्तु ऐसा आमंत्रिती बैठक में मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

21. (1) केन्द्र का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो केन्द्र के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा और वह इस प्रयोजन के लिए केन्द्र और सचिवालय के बीच सम्पर्क बनाए रखेगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति, अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं या जो केन्द्र द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

22. केन्द्र, अपनी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए, एक साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित शक्तियों (विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) और कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिनका प्रयोग या निर्वहन केन्द्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकेगा और साथ ही वह ऐसी शर्तों और निर्बधनों, यदि कोई हों, को भी विहित करेगा, जिनके अधीन शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन किया जा सकेगा।

सचिवालय।

23. (1) केन्द्र का एक सचिवालय होगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(क) रजिस्ट्रार जो केन्द्र के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करेगा;

(ख) काउंसेल, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् से संबंधित मामलों के संबंध में कार्यवाही करेगा; और

(ग) ऐसी संस्था में अन्य अधिकारी और कर्मचारी, जो विहित की जाए।

(2) रजिस्ट्रार, काउंसेल और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की अर्हताएं, अनुभव, चयन की पद्धति और कृत्य वे होंगे, जो विहित किए जाएं।

अध्याय 4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

24. केन्द्रीय सरकार, इस निमित संसद द्वारा विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात् केन्द्र को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशियों का और ऐसी रीति में, जिसे वह उचित समझे, संदाय कर सकेगी, जिनका उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

IndiaCode

केन्द्र की निधि।

25. (1) केन्द्र एक निधि बनाए रखेगा, जिसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा,—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी धनराशियों;

(ख) माध्यस्थम्, सुलह, मध्यकता या अन्य कार्यवाहियों के दौरान या उनके संबंध में प्राप्त सभी फीसों और अन्य प्रभारों;

(ग) केन्द्र द्वारा पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रसुविधाओं हेतु उसे प्राप्त सभी धनराशियों;

(घ) केन्द्र द्वारा संदानों, अनुदानों, अभिदायों और अन्य स्रोतों से आय के रूप में प्राप्त सभी धनराशियों; और

(ङ) निवेश की गई आय से प्राप्त रकमों।

(2) निधि में जमा की गई सभी धनराशियों को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या ऐसी रीति में उनका निवेश किया जाएगा, जैसा कि केन्द्र द्वारा विनिश्चय किया जाए।

(3) निधि का उपयोग सदस्यों के वेतन और अन्य भत्तों के संदाय की पूर्तियों के लिए और केन्द्र के व्ययों के लिए किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी है।

लेखा और संपरीक्षा।

26. (1) केन्द्र समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किए जाने वाले प्ररूप और रीति में लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी है।

(2) केन्द्र के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत व्यय केन्द्र द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और उनके द्वारा केन्द्र के लेखाओं की संपरीक्षाओं के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के पास ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के पास सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उनके पास विशिष्ट रूप से बहियों, लेखाओं, संबद्ध वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और केन्द्र के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और उनके द्वारा केन्द्र के लेखाओं की संपरीक्षाओं के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित केन्द्र के लेखाओं को, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

उपक्रम की आस्तियों और दायित्वों का निर्धारण।

27. इस अधिनियम के अधीन किसी उपक्रम के संबंध में आस्तियों और दायित्वों का निर्धारण, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा ऐसी रीति में, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, करवाया जाएगा और उसके संबंध में किए गए किसी दावे के संबंध में किसी संदाय का समाधान, उसके द्वारा सोसाइटी और केन्द्रीय सरकार के बीच कराया जाएगा और उसका संदाय, यथास्थिति, सोसाइटी या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

अध्याय 5

माध्यस्थम् चैंबर और माध्यस्थम् अकादमी

माध्यस्थम् चैंबर।

28. (1) केन्द्र एक माध्यस्थम् चैंबर की स्थापना करेगा, जो मध्यस्थों के एक स्थायी पैनल को बनाए रखने के लिए मध्यस्थों को पैनलबद्ध करेगा और साथ ही विख्यात मध्यस्थों के पैनल में प्रविष्टि हेतु आवेदनों की संवीक्षा करेगा।

(2) माध्यस्थम् चैंबर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुभव प्राप्त विख्यात माध्यस्थम् व्यवसायियों और ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, जिनके पास विकल्पी विवाद समाधान और सुलह के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।

IndiaCode

(3) केन्द्र, विनियमों द्वारा काडर के पैनल में प्रवेश हेतु मानदंड अधिकथित करेगा, जिससे विख्यात मध्यस्थों का एक पूल बनाया जा सके, जिनके पास अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न माध्यस्थम् में विशेषज्ञता हो।

(4) केन्द्र के सचिवालय का रजिस्ट्रार माध्यस्थम् चैंबर के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा।

माध्यस्थम् अकादमी।

29. (1) केन्द्र निम्नलिखित के लिए एक माध्यस्थम् अकादमी की स्थापना कर सकेगा—

(क) मध्यस्थों को प्रशिक्षित करने, विशिष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् के क्षेत्र में विख्यात अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् संस्थाओं के साथ प्रतियोगिता करने हेतु;

(ख) विकल्पी विवाद समाधान और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करने; और

(ग) अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुझाव देने।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, अधिनियम के अधीन नियमों और विनियमों में संशोधनों, यदि कोई हों, की आवश्यकता के सबंध में केन्द्र को सुझाव देने और इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक तीन सदस्यीय स्थायी समिति का गठन किया जा सकेगा।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति।

30. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे,—

(क) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य की सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उन्हें संदेय वेतन और भत्तों;

(ख) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन अंशकालिक सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्तों;

(ग) धारा 19 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समितियों की संरचना और कृत्यों;

(घ) धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन केन्द्र के सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या;

(ङ) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्र के रजिस्ट्रार, काउंसेल और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की अर्हताओं, अनुभव, चयन की पद्धति और कृत्यों;

(च) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं के वार्षिक विवरण, जिनके अंतर्गत तुलनपत्र भी हैं; और

(छ) ऐसे किसी अन्य विषय, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन उपबंध किया जाना है या किया जा सकेगा।

विनियम बनाने की शक्ति।

31. (1) केन्द्र, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा, जो ऐसे सभी विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, जिनके लिए इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभावी करने के प्रयोजनों हेतु उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे,—

(क) धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन समिति की बैठकों के समय और स्थान तथा उनमें कारबार के संव्यवहार के संबंध में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया के नियमों, जिनके अंतर्गत गणपूर्ति भी है;

IndiaCode

(ख) धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्र या किसी समिति की बैठक का समय और स्थान तथा उसमें कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया नियम, जिनके अंतर्गत गणपूर्ति भी है;

(ग) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति, अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें;

(घ) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां और कृत्य;

(ङ) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन माध्यस्थम् पूल में प्रवेश के लिए मानदंड; और

(च) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में, सरकार की राय में इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के अनुपालन के लिए उपबंध किया जाना आवश्यक है।

नियमों और विनियमों का रखा जाना।

32. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पूर्व उस नियम या विनियम के अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

33. केन्द्र, उसके अध्यक्ष या सदस्यों या इसके कर्मचारियों और मध्यस्थों के विरुद्ध, उनके द्वारा की गई ऐसी किसी बात के लिए, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या जिसका किया जाना आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं लाई जाएंगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

34. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

2019 का अध्यादेश सं॰ 10

35. (1) नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र अध्यादेश, 2019 का इसके द्वारा निरसन किया जाता है।

2019 का अध्यादेश सं॰ 10

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र अध्यादेश, 2019 के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

———————

IndiaCode